संख्या–737/सत्तर–5–2010–41(11)/2004

प्रेषक,

डॉ0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखण्ड
विश्वविद्यालय, बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2010

विषय: महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–रू0वि0/सम्ब0/2010/3571–22 दिनांक
29–04–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन
अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन राजकीय महाविद्यालय बिसौली, बदायूँ
को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0 ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,
राजनीति शास्त्र तथा इतिहास) और वाणिज्य संकाय में बी0 कॉम0 तथा विज्ञान संकाय में
बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित)
विषयों/पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01–07–2010 से सम्बद्धता की
पूर्वानुमति प्रदान कर दी गयी है–

महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों और समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

डॉ0 रामानन्द प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या–737(1)/सत्तर–5–2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली।
3– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बिसौली, बदायूँ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

प्राचार्य
द0 रा0 आ0 रा0म0 महावि0
बिसौली (बदायूँ)

प्राचार्य
द0 रा0 आ0 रा0म0 महावि0
बिसौली (बदायूँ)

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली – 243 006 (भारत)

BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांकः [illegible]/2006/ दिनांकः 25.07.2006

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय,

बिसौली, बदायूँ

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक 58/सी0 सु0/2006-07 दिनांक 18.07.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वीकृत 60 छात्रों के प्रति सेक्शन को 80 छात्र प्रति सेक्शन करने का अनुरोध किया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली 11.26 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 60 छात्र प्रति सेक्शन को 80 छात्र प्रति सेक्शन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। आपके यहाँ संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सेक्शन की स्थिति निम्नवत होगी :-

कक्षा	सेक्शन	छात्र संख्या
बी.ए. (प्रथम वर्ष)	05	400
बी.एस-सी. (बायो/मैथ) (प्रथम वर्ष)	02	160
बी.कॉम. (प्रथम वर्ष)	02	160

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि – सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

कुलसचिव

प्राचार्य

द0 रा0 आ0 राज0 महावि0

बिसौली (बदायूँ)

प्राचार्य

द0 रा0 आ0 राज0 महावि0

बिसौली (बदायूँ)

प्रेषक, संख्या–385/सत्तर–5–2015–41(12)/2004 टीसी

बी0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2015

विषय: दमयंती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय बिसौली, बदायूँ में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–डिग्री प्लान/883/2014–15, दिनांक 7–6–2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दमयंती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय बिसौली, बदायूँ में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें संचालित किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार कुल 08 पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	प्रवक्ता–समाजशास्त्र	02 पद	15600–39100 ग्रेड पे–6000
2.	प्रवक्ता–अंग्रेजी	02 पद	15600–39100 ग्रेड पे–6000
3.	प्रवक्ता–राजनीति विज्ञान	02 पद	15600–39100 ग्रेड पे–6000
4.	प्रवक्ता–वाणिज्य	02 पद	15600–39100 ग्रेड पे–6000
	कुल	08 पद	

2– उक्त पदों का सृजन इस शर्त के अन्तर्गत है कि प्रथम चरण में प्रवक्ताओं की प्रति विषय 01 पद पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी। छात्रों की संख्या के आधार पर ही दूसरे पद पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी। नियुक्ति हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कराते हुए सृजित पदों के वेतन आदि हेतु आवश्यक बजट प्राविधान करा लिया जायेगा।

3– उपरोक्त सभी पद अपने सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगें तथा पदधारकों को समय–समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

प्राचार्य
द0 रा0 आ0 राज0 महावि0
बिसौली (बदायूँ)

2/–

Post Srijan-74

प्राचार्य
द0 रा0 आ0 राज0 महावि0
बिसौली (बदायूँ)

4— उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—103—राजकीय कालेज तथा संस्थान—04—राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश" के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—11—210/दस—2015, दिनांक 6—2—2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या— 385 (1)/सत्तर—5—2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वित्त नियत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। डिग्री सेवा।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
5. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. वित्त (ई—11) अनुभाग/उच्च शिक्षा अनुभाग—4.
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव।

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0/सम्बद्धता/2015/ 4752-60 दिनांक [illegible]

सेवा में,

प्राचार्य,

दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय,

बिसौली, बदायूँ।

विषयः दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत [illegible] राजनीतिशास्त्र व अंग्रेजी) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 विषयों/ पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति [illegible]

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता [illegible] जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम [illegible] में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं- सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के [illegible] पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु [illegible] बैठक दिनांक 10.05.2015 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था [illegible] राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम0ए0(समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व [illegible] वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2015 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की [illegible] की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में [illegible] के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा [illegible] में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत [illegible] 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही [illegible] किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

प्रो0([illegible])

कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

प्राचार्य

द0 रा0 आ0 राज0 महावि0

बिसौली (बदायूँ)

प्राचार्य

(ए.के. सिंह)

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– स0वि0/सम्ब0/2015/4927–96

दिनांक [illegible]

सेवा में,

प्राचार्य,
दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय,
बिसौली, बदायूँ।

विषय : संस्था दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम0ए0 तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2015–16 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक [illegible].06.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्था दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम0ए0 तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति सत्र 2015–16 से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या स0वि0/सम्बद्धता/2015/4252–60 दिनांक 10.05.2015 द्वारा दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम0ए0(समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व अंग्रेजी) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में दिनांक 01.07.2015 से अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति प्रदान कर दी है:–

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25.06.2015 के द्वारा संस्था दमयन्ती राज आनन्द राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम0ए0 (समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र व अंग्रेजी) प्रत्येक विषय में एक–एक सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 में एक सेक्शन (अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन), कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में सत्र 2015–16 से कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरा कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. प्राचार्य/प्रबंधक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार आवेदित पाठ्यक्रमों/विषयों मे शिक्षकों की नियुक्ति 30 दिन के भीतर कर ली जायेगी अन्यथा की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. वित्त अधिकारी
2. उप/सहायक कुलसचिव(परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, प्रशा0)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
6. वेबसाइट प्रभारी।

प्राचार्य
द0 रा0 आ0 रा0 महावि0
बिसौली (बदायूँ)

कुलसचिव

प्राचार्य
द0 रा0 आ0 रा0 महावि0
बिसौली (बदायूँ)